संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार अग्निबाण --पृष्ठ 04 दिनांक 26/03/2021

मास्टर प्लानः 30 दिन में मिली 277 आपत्तियां, 13 सुझाव

निराकरण के लिए 24 अप्रैल से सुनवाई शुरू होगी, ग्रीन बेल्ट कृषि उपयोग व उद्यान की जमीन आवासीय करने पर आई आपत्तियां

• रतलाम

शहर के मास्टर प्लान 2035 के प्रारुप प्रकाशन के बाद 6 फरवरी से 6 मार्च तक तीस दिन में नगर एवं ग्राम निवेश विभाग को कुल 277 आपत्तिया मिली, जबकि 13 सुझाव भी मिले। आगामी 24 अप्रैल से इन आपत्तियों और सुझाव पर सुनवाई शुरु होगी और निराकरण किया जाएगा। मास्टर प्लान को लेकर कल कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर गोपालचंद्र डांड की अध्यक्षता में जिला समिति की बैठक हुई जिसमें जानकारी दी गई कि पिछले तीस दिनों में किस प्रकार सुझाव और आपत्तियां आई है।

बैठक में बताया गया कि दर्ज आपत्तियों में ग्रीन बेल्ट हनुमान ताल के पास की कुछ जमीनों का लेण्ड यूज बदलने पर आपत्ति आई है। इसी तरह बंजली की कुछ जमीनो को आवासीय किए जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। बैठक में शहर विधायक चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना मौजूद रहे। सहायक संचालक नगर व ग्राम निवेश विभाग जीएल वर्मा ने बताया कि मास्टर प्लान 2035 के ड्राफ्ट पर जो भी आपत्ति व सुझाव मिले है आगामी 24 अप्रैल से उनके निराकरण के लिए सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मास्टर प्लान 2035 के लिए निवेश क्षेत्र बढाया गया है और नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वृद्धि की गई है। वर्ष 2021 मे कुल निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल 10163 हेक्टेयर था जिसमें नगरीय क्षेत्र 2425.30 व ग्रामीण 7738.40 हेक्टेयर था। वर्ष 2035में ग्रामीण क्षेत्र में कमी करते हुए 7106.49 हेक्टेयर कर दिया गया। जबकि नगरीय क्षेत्र बढाकर 3211.64 हेक्टेयर रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या 13 रखी गई है। इस मास्टर प्लान में यह तय हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर सडक के दोनो और 200-200 मीटर की गहराई में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से सैलाना निवेश क्षेत्र की ओर 250-250 मीटर, सेजावता से बंजली बायपास पर सडक के एक ओर 150 मीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर मंदसौर की ओर 250-250 मीटर के क्षेत्र में आवासीय, अर्द्धशासकीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निर्माण किए जा सकेंगे। तालाब के पास 30 तो नालों के पास 9 मीटर का एरिया नगर वन के लिए रखा गया है। अग्निबाण 26

इस प्रकार आई आपत्तियां

नए मास्टर प्लान पर भूमि उपयोग पर दर्ज आपत्तियों की संख्या अभी 277 बताई जा रही है। इन आपत्तियों में 109 आपत्तियां जमीन के अमोद प्रमोद से आवासीय, वाणिज्यिक उपयोग पर, 39 आपत्तिया सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक से आवासीय, वाणिज्यिक उपयोग पर, 20 आपत्तिया मार्ग प्रस्तावित करने पर, 45 आपत्तिया यातायात से कृषि, वाणिज्यिक, आवासीय,मिश्रित पर,28 आपत्तिया औद्योगिक से कृषि, वाणिज्यिक, आवासीय मिश्रित पर, 21 आपत्तिया कृषि से वाणिज्यिक, आवासीय मिश्रित पर,4 आपत्तिया वाणिज्यिक से आवासीय मिश्रित पर और तीन आपत्तिया मिश्रित से कृषि पर आई है। इसके अलावा 13 सुझाव भी मिले है।

विकास कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं करने पर कालोनाईजर को सूचना पत्र जारी

रतलाम। समयावधि में कालोनी का विकास कार्य पूर्ण नहीं करने वाले कालोनाईजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी है जिसके तहत मेसर्स रचना हाउसिंग को सूचना पत्र जारी किया है। नगर निगम द्वारा मेसर्स रचना हाउसिंग के कालोनाईजर अनिल झालानी व प्रवीण सेलवाडिया एवं अन्य को भक्तन की बावड़ी स्थित आवासीय कालोनी का विकास कार्य नियत समयावधि में पूर्ण नहीं करने तथा शेष आश्रय शुल्क की राशि जमा नहीं कराने के कारण कालोनाईजर को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कालोनाईजर को दी गई कालोनी विकास अनुमति निरस्त करते हुए, विकास कार्य के एवज में बंधक रखे गये भूखण्डों का निगम द्वारा विक्रय कर कालोनी के विकास कार्य पूर्ण करने बाबत अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है दी गई समयावधि में कालोनाईजर द्वारा समाधान कारक कार्यवाही नहीं करने पर सूचना-पत्र अनुसार कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दबंग दुनिया –पृष्ठ 09 दिनांक 26/03/2021

होली के दिन लॉकडाउन का विरोध, कई संगठनों ने खोला मोर्चा

अब रविवार रहेगा लॉकडाउन

मास्क अभियान में भी भेदभाव, स्वच्छता की कमी पर भी शिकायत

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

रतलाम में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने केंद्र और राज्य सरकार को चिंता में ला दिया है। इसके बाद शासन ने प्रति रविवार प्रदेश के 7 जिलों के साथ रतलाम में भी पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला किया है। इस रविवार को होली का पर्व होने से लॉकडाउन का सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर विरोध भी हो रहा है। कई संगठन और लोगों ने प्रशासन से होली पर लॉकडाउन नहीं रखने की मांग भी की है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पत्र में होली, शब-ए-रात, ईस्टर, ईद-उल-फितर आदि को देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं, कि त्यौहारों पर भीड़ पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन में अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह लॉकडाउन हर बार शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस बार रविवार को होलिका दहन का पर्व होने से लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। जारी आदेश के अनुसार शनिवार रात से ही लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा, ऐसे में रविवार शाम से होलिका दहन के लिए सामूहिक रूप से दहन भी नहीं हो सकेगा। लोग सांकेतिक रूप से अकेले होलिका दहन बिना भीड़ किए जरूर कर सकेंगे, लेकिन उसे लेकर भी फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने कोई निर्देश जारी नहीं किया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पोस्ट डाली है। लोगों की शिकायत है कि अब तक लॉकडाउन या सख्ती इतनी नहीं की गई थी तो होलिका दहन के लिए भी सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति में पूजन और समारोह मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल बंद

मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस की स्थिति पर मंत्रिमंडल की बैठक के बाद 20 से ज्यादा औसत केस वाले जिलों में अगले आदेश तक स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमाघर बंद कर दिए हैं जिसमें रतलाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार इन जिलों में रेस्तरां बैठकर खाने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि, यहां खाना पैक कराने और होम डिलीवरी के लिए रेस्तरां खुले रहेंगे। शादी समारोह में 50 औ शवयात्रा में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। आने वाले त्योहार शब-ए-बारात, ईस्टर और होली खेलने के दौरान ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई है।

मास्क अभियान में टीम का डर, कोरोना का नहीं

शहर में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों ने खुद सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी थी। इस दौरान एएसपी डॉ. इंद्रजीत बाकलवार द्वारा एक मैजिक चालक को थप्पड़ मारने की वीडियो भी वायरल हुआ। अब भी राजस्व, नगर निगम और पुलिस की टीमों द्वारा बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर बैठे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोगों में कोरोना का डर कम नजर आ रहा है। अधिकांश लोग टीम को सामने देखकर मास्क लगा रहे हैं और उनके जाते ही उतार रहे हैं। माणकचौक, चांदनीचौक, घासबाजार, कसारा बाजार, चौमुखीपुल, नौलाईपुरा, धानमंडी जैसे भीड़ भरे इलाकों में यह आलम है कि भीड़ के बीच भी आधे से ज्यादा लोगों के मास्क नाक पर नहीं बल्कि गले में लटके या जेब में रखे मिल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि प्रशासन केवल सख्ती कर रहा है, जबकि कोरोना से बचाव और मास्क के महत्व को वे आम लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। इसके चलते अभियान सख्ती के बल पर ही काम कर पा रहा है और उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है।

तरणताल स्थित कोविड-19 में जांच केंद्र की सेवाएं स्थगित

जिले में पहले कोरोना संबंधी जांच के लिए सिविक सेंटर तरणताल पर जांच संबंधी सैंपल लिए जा रहे थे। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर नानावरे ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में स्टाफ की कमी होने के कारण उक्त केंद्र का संचालन स्थगित किया गया है।

मास्क नहीं पहनने पर दो दुकान सील

मास्क नहीं पहनने और दुकान में ज्यादा भीड़ होने पर राजस्व अमले द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सील कर दिया गया। इनमें कोर्ट चौराहा स्थित पोहावाला की दुकान और बाजार में पेटलावद ज्वेलर्स सम्मिलित है।

प्रदेश में मिले 2091 नए मरीज, 12 हजार से ऊपर पहुंचे एक्टिव केस

गुरुवार को भोपाल में मिले 425 सक्रमित

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 2091 नए मरीज मिले हैं। ये मरीज गुरुवार को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार सुबह रिपोर्ट जारी की है। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा 12,038 तक पहुंच गया। राजधानी भोपाल में गुरुवार को 425 नए मरीजों की पहचान हुई। इनमें से 70 फीसद मरीज घरों में रहकर इलाज ले रहे हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि जिस तेजी से संक्रमित मिल रहे हैं, उसके अनुरूप मौतों का आंकड़ा बहुत कम है।

स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई जांच की क्षमता

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाई है। वर्तमान में 33 हजार 780 जांचें रोजाना की जा सकती है, लेकिन इतने सैंपल नहीं आ रहे हैं। गुरुवार को प्रदेशभर के 29 हजार 123 लोगों ने जांच कराने के लिए सैंपल दिए थे। इनमें से 28 हजार 504 की जांच रिपोर्ट गुरुवार देर रात तक आ गई थी। इनमें से 214 निरस्त किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार देर शाम तक की स्थिति में 4051 सैंपल जांच प्रक्रिया में रखे गए हैं। इनकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी।

प्रदेश में जिलेवार स्थिति

जिला	संक्रमित	कुल संक्रमित	सक्रिय केस	मौतें
भोपाल	425	49029	3195	625
इंदौर	612	66569	2718	951
जबलपुर	156	18206	909	256
उज्जैन	83	5748	465	109
रतलाम	65	5416	401	86
ग्वालियर	63	17203	376	325
खरगोन	60	6067	292	115
बैतूल	54	4380	406	80

नोट– उक्त आंकड़े स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन

29 स्थानों पर हो रही जांचें

प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण की जांचें 29 प्रयोगशालाओं में हो रही है। बाकी के कुछ सैंपल जरुरत पड़ने के साथ ही बाहर की प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भोपाल व ग्वालियर में जांचें हो रही है।

217

इंदौर में एक ही दिन में रिकॉर्ड 612 संक्रमित सामने आए

इंदौर। जिले में 16.22 फीसदी की रिकॉर्ड संक्रमण दर से 612 संक्रमित सामने आए है, जो अब तक का एक दिन में सर्वाधिक संक्रमित आने का भी रिकॉर्ड है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बी एस सैत्या ने बताया कि गुरुवार को 3772 कोरोना संदेहियों के सेम्पल जांचे गए। इसी के साथ अब तक 907950 जांच की जा चुकी है। जिनमें सामने आए 66,569 संक्रमितों में से इलाज के बाद 62,900 स्वस्थ हो चुके है। गुरुवार को दो संक्रमितों की उपचार के दौरान मौत दर्ज किए जाने के बाद यहां 951 मौतें आधिकारिक रूप से दर्ज की जा चुकी है। जिले में एक्टिव केस बढ़कर 2718 तक जा पहुंच गए है। डॉ सैत्या ने जिले में कोरोना संक्रमण की दर में आई अप्रत्याशित वृद्धि पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि अब तक अधिकतम 7–8 फीसदी की संक्रमण दर ही रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जनवरी 2021 में तो संक्रमण दर घटकर 2 फीसदी से भी नीचे जा पहुंची थी। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर संक्रमण दर बढ़ने से स्वास्थ्य दर (रिकवरी रेट) पर प्रतिकूल असर होता है, यही वजह है कि हमारा रिकवरी रेट 98 फीसदी से घटकर 94 फीसदी से भी नीचे जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील कि है की संयम बरतते हुए लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें।

शहर को छोड़कर शेष जिले में होलिका दहन पर 25 व्यक्तियों के उपस्थिति की अनुमति

रतलाम। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की नगर निगम रतलाम शहर सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन रहेगा।

शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगें। लॉकडाउन अवधि में शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिकारी/ कर्मचारी, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। रतलाम नगर सीमा क्षेत्र में दिनांक 31 मार्च 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षायें, जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। जिले में आगामी दिवस में आने वाले त्यौहारों पर निकलने वाले जुलूस, गैर, मेला आदि के आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

रतलाम शहर को छोड़कर शेष जिले में होलिका दहन पर्व पर अधिकतम 25 व्यक्तियों की होलिका दहन स्थल पर अनुमति रहेगी। आयोजन समिति द्वारा उनके नाम/पता की जानकारी लिखित में आयोजन के पूर्व संबंधित थाने पर देना अनिवार्य होगा। होली त्यौहार मेरी होली मेरा घर अंतर्गत मनाई जावे। रतलाम शहर में होली दहन एवं शब–ए–बारात कार्यक्रम लॉकडाउन होने के कारण सांकेतिक रूप मनाया जावे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार नईदुनिया –पृष्ठ 08 दिनांक 27/03/2021

आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक लाकडाउन

कोरोना से जंग : आवश्यक सेवाओं को छूट, सात दिन में 375 नए मरीज मिले, एक की मौत, सक्रिय 456

रतलाम। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। गत सात दिनों में ही 375 नए मरीज मिले हैं। संक्रमण की दर सात प्रतिशत के करीब है। ऐसे में रोकथाम व बचाव के लिए कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लाकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक लाकडाउन प्रभावी रहेगा। इस अवधि में शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिकारी/कर्मचारी, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। शहर में 31 मार्च तक सभी स्कूल एवं कालेज में शिक्षण बंद रहेगा।

जिले में लाकडाउन के दौरान शासकीय कोषालय एंव उप-कोषालय तथा पंजीयक एवं उप-पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे। जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ठेलागाड़ी पर खाना प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन वे भोजन प्रदाय कर सकेंगे। जिले के सभी सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे।

आज 25 केंद्रों पर लगेगा टीका

शनिवार को जिले के 25 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। इसमें सिविल अस्पताल आलोट, सीएचसी ताल, उप केंद्र गुलबालोद, बाजना क्षेत्र के सीएचसी बाजना, पीएचसी रावटी, [illegible]

रतलाम में बिना मास्क के घूमने पर चालान बनाते हुए नगर निगम कर्मचारी। ●नईदुनिया

सात दिन में मिले मरीज

तारीख	मरीज
20 मार्च	37
21 मार्च	45
22 मार्च	37
23 मार्च	59
24 मार्च	56
25 मार्च	65
26 मार्च	76

के सीएचसी पिपलौदा, पीएचसी सुखेड़ा, पीएचसी कालूखेड़ा, उपकेंद्र हतनारा, रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के सीएचसी नामली, पीएचसी बिरमावल, पीएचसी धामनोद, उपकेंद्र भाटीबड़ौदिया, सैलाना क्षेत्र के सीएचसी सैलाना, पीएचसी सरवन में तथा शहर के बाल चिकित्सालय, [illegible]

जनजागरूकता अभियान के स्टीगर का विमोचन, महामारी पर नियंत्रण उपाय जारी

रतलाम कला मंच द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, विधायक चैतन्य काश्यप व जिला प्रशासन की प्रेरणा से जनजागरूकता अभियान आरंभ किया गया है। इसके स्टीगर का विमोचन विधायक चैतन्य काश्यप ने किया। उन्होंने संस्था सदस्यों से वालेंटियर के माध्यम से इस अभियान को जन-जन तक ले जाने का आह्वान किया। अभियान के तहत आमजन को जागरूक करने हेतु मास्क वितरण व कोरोना से बचाव के अन्य प्रयासों के लिए प्रेरित करने पर भी बल दिया। जन जागरूकता अभियान के तहत कोरोना रिटर्न स्टीगर बनाया गया है। इसमें आमजन से मास्क का उपयोग करने, दो गज की दूरी का पालन करने व स्वच्छता का ध्यान रखने के साथ-साथ बारी आने पर कोरोना वैक्सीन लगाने, भीड़-भाड़ से बचने, अफवाहों से सावधान रहने, सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की गई है। यह स्टीगर विभिन्न स्थानों पर आमजन को जागरूक करने के लिए लगाए जाएंगे। इस दौरान संस्था के राजेंद्र चतुर्वेदी, विपिन खिलोसिया, ऋषि कुमार शर्मा व अजय चौहान उपस्थित रहे। राजेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि रोको-टोको अभियान के तहत चौराहों पर बिना मास्क निकलने वालों को जागरूक किया जाएगा। मास्क भेंट करने के साथ कोरोना के प्रति सतर्क रहने का संकल्प भी दिलवाया जाएगा।

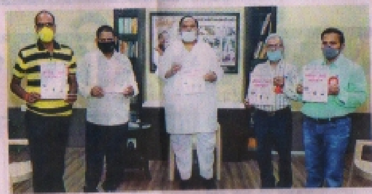

अभियान के स्टीगर का विमोचन करते हुए विधायक चैतन्य काश्यप। ●नईदुनिया

बचाव ही सर्वोच्च उपाय है, टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतना जरूरी

केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। शासकीय मेडिकल कालेज की डीन डा. शशि गांधी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। मास्क लगाकर दो गज की दूरी का पालन करना जरूरी है। समय-समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। टीकाकरण के पश्चात भी सदैव सावधानी बरतना है।

मेडिकल कालेज अस्पताल अधीक्षक डा. जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगवाना जरूरी है। जिला टीकाकरण अधिकारी वर्षा कुरील व जिला टीकाकरण प्रभारी गोविंद काकानी ने डा. ध्रुवेंद्र पांडे टीकाकरण करने वाली टीम के सदस्य राकेश पड़ियार, लोकेश वैष्णव, विकास पटेल, मीना राजावत के कार्यों की सराहना की। मेरी सुरक्षा-मेरा मास्क अभियान के तहत बाल चिकित्सालय में लोगों को मास्क वितरित किए गए। सभी को कोविड-19 नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। भाजपा सूरजमल जैन मंडल मंत्री भारती राठोरी, रीना टांक, रंजना जोशी द्वारा 200 मास्क वितरित किए गए।

शासकीय मेडिकल कालेज में विद्यार्थियों के साथ गोविंद काकानी आदि। ●नईदुनिया

(१२)

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

प्रबंधन समूह की बैठक का हुआ आयोजन

रतलाम। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए रा%य शासन द्वारा जारी आदेशों तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की नगर निगम रतलाम शहर सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10.00 बजे से सोमवार सुबह 06.00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगें। लॉकडाउन अवधि में शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिकारी/ कर्मचारी, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक क%चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।

रतलाम नगर सीमा क्षेत्र में 31 मार्च 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षायें, जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के आने जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा। जिले में 28 मार्च को लॉकडाउन के दौरान शासकीय कोषालय एवं उप-कोषालय तथा पंजीयन एवं उप-पंजीयक कार्यालय खुले रहेगें तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन प्रतिबंधित से मुक्त रहेगा।

जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ठेला गाडी लगाकर खाद्यान्न सामग्री जैसे- (चाय, नाश्ता, इत्यादि) में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा परन्तु वह भोजन प्रदाय कर सकेंगे। जिले के सभी सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, जिम बंद रहेंगें। जिले में आगामी दिवस में आने वाले त्यौहारों पर निकलने वाले जुलूस, गैर, मेला आदि के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

संकलन—नगर निगम, रतलाम अखबार—स्वदेश—पृष्ठ 05 दिनांक 27/03/2021

विकास समय पर नहीं करने पर कालोनाइजर को नोटिस जारी

रतलाम ● स्वदेश समाचार

समयावधि में कॉलोनी का विकास कार्य पूर्ण नहीं करने वाले कालोनाइजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी है जिसके तहत मेसर्स रचना हाउसिंग को सूचना पत्र जारी किया है।

नगर निगम द्वारा मेसर्स रचना हाउसिंग के कालोनाइजर अनिल झालानी व प्रवीण सेलवाडिया एवं अन्य को भक्तन की बावड़ी स्थित आवासीय कॉलोनी का विकास कार्य नियत समयावधि में पूर्ण नहीं करने तथा शेष आश्रय शुल्क की राशि जमा नहीं कराने के कारण कालोनाइजर को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कॉलोनाइजर को दी गई कॉलोनी विकास अनुमति निरस्त करते हुए, विकास कार्य के एवज में बंधक रखे गए भूखण्डों का निगम द्वारा विक्रय कर कॉलोनी के विकास कार्य पूर्ण करने बावत अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है, दी गई समयावधि में कालोनाइजर द्वारा समाधान कारक कार्रवाई नहीं करने पर सूचना-पत्र अनुसार कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी।

वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया -भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व विधायक संगीता चारेल के नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्र सैलाना कोविड-19 को वैक्सीन टीका लगाने के लिए आमजन को प्रेरित किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष श्याम धाकड़ ,मंडल वैक्सीन प्रभारी ईश्वर कुमावत ,संतोष धभाई, संजय जैन ,मुकेश पाटीदार ,नाथू राठौर ,अजय दायमा ,अस्पताल की सिस्टर व कर्मचारी गण उपस्थित थे।

नगर निगम ने विकास कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं करने पर तीन कालोनाईजर को जारी किया नोटिस

सिंहम रिपोर्टर □ रतलाम

समयावधि में कालोनी का विकास कार्य पूर्ण नही करने वाले कालोनाईजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी है जिसके तहत मेसर्स रचना हाउसिंग को सूचना पत्र जारी किया है।

नगर निगम द्वारा मेसर्स रचना हाउसिंग के कालोनाईजर अनिल झालानी व प्रवीण सेलवाडिया एवं अन्य को भक्तन की बावड़ी स्थित आवासीय कालोनी का विकास कार्य नियत समयावधि में पूर्ण नहीं करने तथा शेष आश्रय शुल्क की राशि जमा नहीं कराने के कारण कालोनाईजर को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कालोनाईजर को दी गई कालोनी विकास अनुमति निरस्त करते हुए, विकास कार्य के एवज में बंधक रखे गये भूखण्डों का निगम द्वारा विक्रय कर कालोनी के विकास कार्य पूर्ण करने बाबत अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है दी गई समयावधि में कालोनाईजर द्वारा समाधान कारक कार्यवाही नहीं करने पर सूचना-पत्र अनुसार कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी।

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रतलाम। गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हेण्डल सहीत व हेण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे साथ ही प्लास्टिक व थर्माकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है। नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें।

स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 लक्ष्मीबाई स्कूल की छात्राओं ने लिया रतलाम को नंबर वन रैंक दिलाने का संकल्प

स्वच्छता सहेलियों ने जगाई शहर को सुंदर बनाने की अलख

महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में स्वच्छता का संकल्प लेती हुई छात्राएं। • नईदुनिया

रतलाम। स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर में चल रहे स्वच्छता संबंधी कार्यों में वार्ड के रहवासियों के साथ ही स्कूल-कालेज के छात्र-छात्राएं भी बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। शहर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की छात्राओं ने स्वच्छता सहेली समूह का गठन कर अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर शहर को स्वच्छता की दौड़ में नंबर वन बनाने का संकल्प लिया।

आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा कि स्वच्छता हम सबकी धरोहर है। अपनी सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य ने सबसे पहले स्वच्छता को अपनाया। अपने आसपास की गंदगी मिटाकर स्वच्छ वातावरण तैयार करने पर जोर दिया, लेकिन समय के साथ स्वच्छता के प्रति हमारी सोच में बदलाव आया। स्वच्छता का अर्थ हमारे घर-आंगन की साफ-सफाई तक सिमट कर रह गया। स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम चलाकर नगर निगम लोगों को निरंतर जागरूक करने का काम कर रहा है। साथ ही स्वच्छता के प्रति समझाइश दी जा रही है। स्वच्छता के वे सिपाही जो हर दिन गली-मोहल्ले की साफ-सफाई कर स्वच्छ रतलाम अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नगर निगम ऐसे स्वच्छता के सिपाहियों को सम्मानित करने का काम भी हर दिन कर रहा है।

नईदुनिया

कार्तिक अखाड़े द्वारा चलाया जायेगा प्रतिदिन स्वछता अभियान

29 मार्च

तुषार शर्मा @ रतलाम

शहर के हरे भरे अमृत सागर तालाब के सौंदर्यकरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पिछले माह हुई घोषणा के बाद भी अमल नहीं होने से जनता आक्रोशित है ओर जो कार्य की जिम्मेदार प्रशासन की है वो अब जनता ने अपने हाथो में ले ली है। इसी प्रकार कार्तिक अखाड़े एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा अब हरे भरे तालाब अमृत सागर की सफाई के लिए गुरुवार से एक ओर अनूठी मुहिम छेड़ दी है। जो प्रतिदिन धर्म ध्वजा यात्रा के बाद अमृत सागर तालाब की सफाई भी होगी। कार्तिक अखाड़े के संचालक एवं धर्म ध्वजा यात्रा के संयोजक गुरु सत्यनारायण शर्मा सत्तू पहलवान ने जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रतिदिन अमृत सागर तालाब के सौंदर्यकरण के लिए एवं तालाब की साफ सफाई के लिए अब धर्म ध्वजा यात्रा के बाद स्वछता अभियान चलाया जाएगा। जो प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा। श्री शर्मा ने इस अभियान से जुड़ने के लिए रतलाम की सभी जनता से आग्रह किया है। यह अभियान अब प्रतिदिन निरंतर चलेगा।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दै. भास्कर –पृष्ठ 18 ...दिनांक 27/03/2021

कोरोना का खतरा बढ़ा • सिर्फ लक्षण वाले मरीजों को किया जा रहा है भर्ती, फिर भी मरीजों को नहीं मिल रहा ठीक से इलाज

डॉक्टरों ने सात घंटे तक नहीं दिया रेमेडीसीवर इंजेक्शन, भाजपा कार्यकर्ता की चली गई जान

मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का संक्रमण

परिजन को कोविड रिपोर्ट बताने में देरी, सीटी स्कैन सेंटर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस ही नहीं मिल रही

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का संक्रमण भी बढ़ने लगा है। कॉलेज में भर्ती एक मरीज को 7 घंटे तक रेमेडीसीवर इंजेक्शन नहीं दिया गया। जबकि, इस मरीज के बेहतर इलाज के लिए खुद भाजपा से जुड़े नेता लगे हुए थे। इधर, कॉलेज में सीटी स्कैन के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। शुक्रवार को कॉलेज में मरीजों का हाल जानने के लिए भी परिजनों को परेशान होना पड़ा। पढ़िए... मेडिकल कॉलेज में किस तरह परेशान होते रहे मरीज और परिजन...

ये गलत है : 48 घंटे में हो रहा सीटी स्कैन, मरीज-परिजन परेशान

केस - 1 24 मार्च को मेडिकल कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ता राजेश लोनकर को भर्ती किया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने बताया मैं और भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय डॉक्टरों से मिलकर आए थे। 25 मार्च को राजेश के लिए कॉलेज से 6 रेमडेसीवीर इंजेक्शन लाने का कहा गया। मंडल अध्यक्ष आदित्य डागा और पूर्व पार्षद पवन सोमानी शाम 4 बजे इंजेक्शन देकर आए। रात 11 बजे पवन सोमानी का फोन आया कि कॉलेज में दस्तखत करवाने के लिए बुला रहे है। तब तक इंजेक्शन नहीं लगे थे, जबकि, 7 घंटे पहले इंजेक्शन दिए लग जाने चाहिए थे। राजेश की आज सुबह मौत हो गई।

केस - 2 कॉलेज में ही एक 83 साल के बुजुर्ग भर्ती हैं। 23 मार्च को इन्हें कॉलेज में भर्ती किया था। बुजुर्ग का दो दिन तक सीटी स्कैन नहीं हो सका। परिजन परेशान होते रहे, अस्पताल प्रबंधन एम्बुलेंस व्यस्त होने की बात कहता रहा। 25 मार्च को इनका सीटी स्कैन हो पाया, शुक्रवार को डॉक्टर ने बुजुर्ग के ब्लड सैंपल का कहा, लेकिन रात तक रिपोर्ट ही पता नहीं चली। परिजन ने लैब में पूछताछ की तो सैंपल नहीं पहुंचने की बात कही। इधर, बुजुर्ग का 23 मार्च को ही सैंपल हो गया था, अब तक परिजन इस बात की किसी ने जानकारी नहीं दी है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है... या निगेटिव।

भास्कर

भास्कर पड़ताल

11 बार फोन लगाया, नहीं बताई मरीज की स्थिति

मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजनों को उनकी स्थिति बताने के लिए हेल्पलाइन नंबर है। शुक्रवार को परिजनों की परेशानी पता करने के लिए भास्कर संवाददाता ने पूछताछ केंद्र के हेल्पलाइन नंबरों पर 11 बार फोन लगाया। इन नंबरों पर 5 बार तो किसी ने फोन ही नहीं उठाया। 6 मर्तबा ही बात हो सकी, इसमें हमने कर्मचारियों को मरीज का नाम, वार्ड के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में जानना है। लेकिन, पूछताछ केंद्र से व्यस्त होने की बात कहते रहे, कंडीशन नहीं बताई गई।

एक्सपर्ट व्यू

शुरुआती दिनों में कारगर है रेमेडीसीवर

रेमेडीसीवर इंजेक्शन लगाने से पहले किडनी का फंक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसके लिए मरीज की जांच की जाती है। रिपोर्ट ओके होने के बाद ही ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। रेमेडीसीवर एक अच्छा इंजेक्शन है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कोरोना संक्रमण के शुरुआती 5 दिनों में ये सबसे ज्यादा कारगर माना गया है।

डॉ. राजेश शर्मा,
एमडी, मेडीसीन, निजी अस्पताल

इंजेक्शन लगाने से पहले किडनी की रिपोर्ट देखना जरूरी है

सीधी बात
डॉ. शशि गांधी, डीन, मेडिकल कॉलेज, रतलाम

- **भास्कर**- मरीज के साथ वालों का आरोप है कि 7 घंटे इंजेक्शन नहीं लगाए।
- **डीन** - इंजेक्शन लगाने से पहले किडनी की रिपोर्ट देखना जरूरी है, रिपोर्ट आने के बाद ही इंजेक्शन लगते है।
- **भास्कर** - परिजन को रात 11 बजे साइन करवाने के लिए बुलवाया।
- **डीन** - मरीज की हालत गंभीर थी, साइन इसलिए करवाए गए।
- **भास्कर** - 48 घंटे तक मरीज का सीटी स्कैन नहीं हो रहा, परिजन परेशान हैं।
- **डीन** - मरीज बढ़ने के कारण ऐसा हुआ, एम्बुलेंस व्यस्त थी। मामला जानकारी में आ गया था, ड्राइवर बढ़ा दिए हैं, 108 एम्बुलेंस को अटैच किया है।

विकास कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं करने पर कालोनाईजर को सूचना पत्र जारी

रतलाम । समयावधि में कालोनी का विकास कार्य पूर्ण नहीं करने वाले कालोनाईजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी है जिसके तहत मेसर्स रचना हाउसिंग को सूचना पत्र जारी किया है।

नगर निगम द्वारा मेसर्स रचना हाउसिंग के कालोनाईजर श्री अनिल झालानी व श्री प्रवीण सेलवाडिया एवं अन्य को भक्तन की बावड़ी स्थित आवासीय कालोनी का विकास कार्य नियत समयावधि में पूर्ण नहीं करने तथा शेष आश्रय शुक्ल की राशि जमा नहीं कराने के कारण कालोनाईजर को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कालोनाईजर को दी गई कालोनी विकास अनुमति निरस्त करते हुए, विकास कार्य के एवज में बंधक रखे गये भूखण्डों का निगम द्वारा विक्रय कर कालोनी के विकास कार्य पूर्ण करने बावत अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है दी गई समयावधि में कालोनाईजर द्वारा समाधान कारक कार्यवाही नहीं करने पर सूचना-पत्र अनुसार कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी।

कोरोना से बचाव के लिए तीन तरह की अपनाई जा रही हैं रणनीतिः शिवराज सिंह

अब पांच और जिलों में संडे लॉक

भोपाल। (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम एवं उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता है।

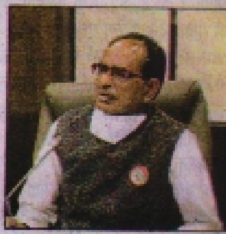

सभी जिले क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप की बैठकें कर जिलावार रणनीति बनाएं। हमें हर हालत में कोरोना का संक्रमण रोकना है तथा जिन जिलों में संक्रमण नहीं है या कम है वहां संक्रमण नहीं फैलने देना है। विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर तथा सौंसर में भी रविवार को लॉक डाउन रहेगा। उल्लेखनीय है कि सात शहरों में पहले से ही संडे लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है। ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगौन हैं । इस तरह कुल 12 शहरों में लाकडाउन हो गया है। श्री चौहान शुक्रवार को मंत्रालय में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हम तिहरी रणनीति अपना रहे हैं। श्री चौहान ने यहां मीडिया से चर्चा में कहा कि संक्रमण रोकना, आवश्यक बेड और उपचार व्यवस्था इसके साथ ही तेजी से वैक्सीनेशन।

उज्जैन में वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना से हेल्थ वर्कर की मौत, देश में संभवत: पहला केस

उज्जैन, (एजेंसी)। उज्जैन में कोरोना की दूसरी लहर है। एक दिन में यहां 83 नए मरीज मिले। उज्जैन में कोरोना की दूसरी लहर है। एक दिन में यहां 83 नए मरीज मिले। 55 साल के रामाराव मलेरिया विभाग में फील्ड वर्कर के रूप में तैनात थे और यहां हाटकेश्वर कॉलोनी में रहते थे। 8 मार्च को कोरोना की दूसरी डोज लगने के बाद 10 मार्च से वो बीमार थे उज्जैन। उज्जैन में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बीच एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत ने सबको चिंता में डाल दिया है। चिंता इसलिए क्योंकि जिस कर्मचारी की मौत हुई उसे एंटी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद किसी स्वास्थ्यकर्मी की मौत का संभवत: ये देश में पहला मामला है।

नवंबर के बाद पहली बार देश में 24 घंटे में देश में 58,886 नए केस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के मामलों के नवंबर के बाद फिर से पुरानी रफ्तार पकड़ने के बीच पिछले 24 घंटे के दौरान फिर से रिकॉर्ड 58 हजार से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 257 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 58,886 नए मामले दर्ज किए गए जो कोरोना के इस दौर का अब तक का सर्वाधिक मामला है। एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है तो दूसरी तरफ होली से ईद तक कई त्योहार भी आने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखकर कई निर्देश दिए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखा जाए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन कराया जाए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी में कहा कि त्योहारों के दौरान भीड़ पर नजर रखें और इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। इससे पहले गुरुवार को 53,476 नए मामले दर्ज किए गए जो तब तक का सर्वाधिक मामला था। इससे पहले बुधवार को 47,262 नये मामले जबकि मंगलवार को यह संख्या 40,715 सोमवार को 46,951, रविवार को 43,846, शनिवार 40,953 और शुक्रवार को 39,726 दर्ज की गई थी। इस अवधि में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 257 दर्ज की गई जबकि इससे पहले गुरुवार को यह आंकड़ा 251 दर्ज किया गया था। बुधवार को यह संख्या 275 पहुंच गई थी मंगलवार को यह संख्या 199, सोमवार को 212, रविवार को 197, शनिवार को 188, शुक्रवार को 154, गुरुवार को 172, बुधवार को 188, मंगलवार को 131 दर्ज की गई थी। २/५

रविवार लॉकडाउन और होली के त्यौहार के लिए पुलिस की तैयारी शुरू

पुलिस अधीक्षक ने युवाओं से की बाहर ना निकलने की अपील

दैनिक अवन्तिका ▸▸ रतलाम।

शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने के शासन के निर्णय के बाद पुलिस और प्रशासन लॉकडाउन की तैयारियों में जुट गए है। रतलाम पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर चेकिंग पॉइंट बनाए है। वहीं रविवार के दिन ही होली का त्योहार होने से पुलिस की टीमें हुड़दंगियों, अपराधियों और शराब पीने वालों की धरपकड़ के लिए शुक्रवार शाम से ही चेकिंग शुरू कर देगी।

पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने बताया की रविवार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों के साथ युवाओं से अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। एसपी ने कहा कि पूर्व के मामलों में देखा गया है कि कोरोना संक्रमित हुए बुजुर्ग लोग घर से बाहर नहीं निकले थे लेकिन उनके घर के युवाओं की लापरवाही से घर के बुजुर्ग कोरोना पीड़ित हो गए थे। युवाओं को नसीहत देते हुए एसपी ने उन्हें अनावश्यक बाहर नहीं निकलने को कहा है। होली के त्योहार पर हुड़दंग करने वालों और आपराधिक तत्वों की रोकथाम के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस की टीमों की तैनाती की जाएगी जो वाहनों की चेकिंग के साथ संदिग्ध लोगों की तलाशी भी लेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान होली दहन के कार्यक्रम सांकेतिक रूप से किए जाएगी लेकिन आयोजन स्थल पर डीजे बजाने और भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

अवन्तिका।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– तेज एक्सप्रेस पृष्ठ 07 दिनांक 26/03/2021

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रतलाम । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से षासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देषित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देषित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है। नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्हड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये। बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिस्पोजेबल आयटमों के विक्रय, भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देष संबंधित को दिये।

गुप्ता कलर लेब पर 4000 का जुर्माना

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

रतलाम । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर गुप्ता कलर लेब स्टेषन रोड पर 4000 व राहूल महू रोड पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाष षिन्दे, राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कोरोना • रतलाम में 128 दिन बाद दूसरी बार रिकॉर्ड कोरोना के 76 नए मरीज मिले

रतलाम में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन, दूध और सब्जी पर भी रोक

संडे लॉकडाउन, लेकिन रजिस्ट्री कराने की छूट, रविवार शाम 6 से रात 10 बजे तक कर सकेंगे होलिका दहन

इंदौर, भोपाल में सार्वजनिक होलिका दहन पर रोक

भास्कर न्यूज | रतलाम

कोरोना संक्रमण के चलते 206 दिन बाद रतलाम जिले में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह शनिवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे 32 घंटे तक चलेगा। 31 मार्च तक सारे स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। लॉकडाउन में सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। विवाह व अन्य जरूरी कार्यक्रमों के लिए आयोजकों को अनुमति लेना होगी। कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू करके प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। इसके पहले जून से अगस्त 2020 तक रविवार का लॉकडाउन चला था, जिसे सरकार ने 1 सितंबर से खत्म कर दिया था।

प्रदेश में नए केस 2091 | **इंदौर में संक्रमित 619**

ईश्वर बंद द्वार से भी प्रार्थना सुनते हैं

इंदौर | शुक्रवार से सभी धर्मस्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। लोग दरवाजों के बाहर से ही प्रणाम कर प्रार्थना निवेदित करते नजर आए। चित्र इंदौर के राजबाड़ा महालक्ष्मी मंदिर का।

देश में नए केस 60 हजार पार, महाराष्ट्र में रविवार से नाइट कर्फ्यू

नई दिल्ली | देश में शुक्रवार को कोरोना के 60,376 नए केस मिले हैं। इस साल मिले कोरोना के नए मामलों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में 277 मौतें भी हुईं। अकेले महाराष्ट्र में 36,902 नए केस आए हैं। इसको देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को होली, ईस्टर और शब-ए-बरात, ईद-उल-फितर जैसे त्योहारों को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने को कहा है।

एक महिला ने दम तोड़ा, एक्टिव केस 456

शुक्रवार देर रात रतलाम में बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में एक साथ 76 पॉजिटिव मिले। 128 दिन में दूसरी बार इतने ज्यादा संक्रमित सामने आए हैं। इधर, एक्टिव केस 456 हो गए हैं। शुक्रवार को एक महिला ने दम तोड़ दिया। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को रात 11.34 बजे रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें 76 संक्रमित सामने आए। इधर, इंदौर में रिकॉर्ड 619 नए मरीज सामने आए हैं। यहां के ज्यादातर प्रमुख अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। यहां दो लोगों की मौत भी हुई है।

555 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार- जिले में अभी 555 मरीजों की रिपोर्ट आना है। ऐसे में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा ज्यादा आने की आशंका है। शुक्रवार को 18 मरीजों को डिस्चार्ज किया।

रतलाम में कोरोना से 87वीं मौत- विरयाकर मार्ग निवासी 29 साल की महिला ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। महिला को 23 मार्च को भर्ती किया गया था। यह जिले में कोरोना से 87वीं मौत है।

दीपक जैन की दुकान से 115 किलो पॉलीथिन जब्त, एक हजार रुपए का जुर्माना

रतलाम। | 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन बेचने पर निगम अमले ने त्रिवेणी रोड पर कार्रवाई की। यहां दीपक जैन की दुकान से 115 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की। एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कार्रवाई प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह व अमले ने की। ड्रेस पहनकर ड्यूटी पर आना पांच कर्मचारियों को भारी पड़ गया। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने एक दिन का वेतन काटने के आदेश दे दिए हैं। इनमें अग्निशमन विभाग के फायरमैन जुझारसिंह शंकरलाल, फकीनउद्दीन अंसारी, ड्राइवर गजराजसिंह-मांगू सिंह, जितेंद्र सिंह व चौकीदार अजयसिंह सरदारसिंह शामिल हैं। चार जोन में 22 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। उन्हें नोटिस दिया है।

गुप्ता कलर लेब पर 4 हजार का जुर्माना

रतलाम। शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर गुप्ता कलर लेब स्टेशन रोड पर 4000 व राहुल महू रोड पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत डाडे, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टाक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई।

अनुपस्थित 14 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम । निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 25 मार्च गुरूवार को 14 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

प्रवासन न्यूज • रतलाम

कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड द्वारा आगामी नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2020-2021 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु निम्न अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

नियुक्त नोडल अधिकारियों में अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिडे माडल कोड आफ कंडक्ट एवं ला एण्ड आर्डर, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह मेन पावर मैनेजमेंट, डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन शिकायत निवारण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री अरुण पाठक निर्वाचन शिकायत नस्तियों का प्रचलन एवं उपखण्ड स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर टीप के साथ प्रतिवेदन डिप्टी कलेक्टर को प्रेषित करना, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले,, डा. सुरेश कटारिया प्राध्यापक ट्रेनिंग मैनेजमेंट, लेखा अधिकारी श्री रमेश मौर्य एक्सपेंडीचर मैनेजमेंट, जिला कोषालय अधिकारी श्री विनय भूरिया बैलेट पेपर मुद्रण, निर्वाचन मानदेय, स्ट्रांग रूम, जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव प्रेक्षकों से संबंधित कार्य, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद तथा अकील खान मटेरियल मैनेजमेंट, संचालक जनसम्पर्क शकील एहमद खान मीडिया मैनेजमेंट, पेड न्यूज, एमसीएमसी, शा. कला एवं विज्ञान महावि. प्राध्यापक एस.एस. मौर्य तथा जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा सेन्स प्लान, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी बालकृष्ण पाटीदार कम्युनिकेशन प्लान, जिला सूचना अधिकारी नरेन्द्र चौहान कम्प्युटराईजेशन एवं साफ्टवेयर मैनेजमेंट, जिला परिवहन अधिकारी दिलीप मांझी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ई-गवर्नेंस मैनेजर नरेन्द्र सोलंकी ईव्हीएम, युआरएल तथा ई-मेल, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद जिला स्तरीय काल सेन्टर के दायित्वों के साथ-साथ निर्वाचन से संबंधित अन्य सौंपे जाने वाले दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

नवभारत

प्लेटफॉर्म टिकट की दर 50 रुपए

रतलाम। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के विभिन्न स्टेशनो पर प्लेटफार्म टिकट की दर में संशोधन कर 26 मार्च, 2021 से लागू किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 के दौरान रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर कम संख्या में लोगों का आवागमन हो इसके लिए प्लेटफार्म टिकट की दर में संशोधन किया गया है तथा यह दर 26 मार्च, 2021 से अगले आदेश तक लागू रहेगा। रतलाम मंडल के रतलाम, उज्जैन, इंदौर, चित्तौड़गढ़, दाहोद, देवास, नागदा, नीमच एवं मंदसौर स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की दर रू 50/- तथा अन्य स्टेशनों पर रू 10/- होगी।

पुलिस तैयार : रविवार लॉकडाउन और होली के त्योहार के लिए पुलिस की तैयारी शुरू

पुलिस अधीक्षक ने युवाओं से की बाहर ना निकलने की अपील

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने के शासन के निर्णय के बाद पुलिस और प्रशासन लॉकडाउन की तैयारियों में जुट गए है। रतलाम पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर चेकिंग पॉइंट बनाए है।

वहीं रविवार के दिन ही होली का त्योहार होने से पुलिस की टीमें हुड़दंगियों, अपराधियों और शराब पीने वालों की धरपकड़ के लिए शुक्रवार शाम से ही चेकिंग शुरू कर देगी।

पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने बताया की रविवार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों के साथ युवाओं से अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। एसपी ने कहा कि पूर्व के मामलों में देखा गया है कि कोरोना संक्रमित हुए बुजुर्ग लोग घर से बाहर नहीं निकले थे लेकिन उनके घर के युवाओं की लापरवाही से घर के बुजुर्ग कोरोना पीड़ित हो गए थे। युवाओं को नसीहत देते हुए एसपी ने उन्हें अनावश्यक बाहर नहीं निकलने को कहा है।

होली के त्योहार पर हुड़दंग करने वालों और आपराधिक तत्वों की रोकथाम के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस की टीमों की तैनाती की जाएगी जो वाहनों की चेकिंग के साथ संदिग्ध लोगों की तलाशी भी लेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान होली दहन के कार्यक्रम सांकेतिक रूप से किए जाएंगे लेकिन आयोजन स्थल पर डीजे बजाने और भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

शनिवार को जिले के 25 स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा

1 अप्रेल के बाद 45 से 59 वर्ष के हितग्राही बिना चिकित्सीय प्रमाण पत्र के सीधे कोविड टीका लगवा सकेंगे

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

शनिवार को कोविड टीकाकरण के लिए जिले के 25 स्वास्थ्य केन्द्रों का चिन्हांकन किया गया है। आलोट क्षेत्र के सिविल अस्पताल आलोट, सीएचसी ताल, उप केन्द्र गुलबालोद बाजना क्षेत्र के सीएचसी बाजना, पीएचसी रावटी, जावरा क्षेत्र के सिविल अस्पताल जावरा, उपकेंद्र रेवास, केरवासा, पिपलोदा क्षेत्र के सीएचसी पिपलोदा, पीएचसी सुखेड़ा, पीएचसी कालुखेड़ा, उपकेन्द्र हतनारा रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के सीएचसी नामली, पीएचसी बिरमावल, पीएचसी धामनोद, उप केन्द्र भाटीबड़ोदिया, सैलाना क्षेत्र के सीएचसी सैलाना, पीएचसी सरवन में कोविड का टीकाकरण किया जाएगा।

रतलाम शहर के बाल चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और डीआरपी लाईन में कोविड का टीकाकरण किया जाएगा। रेल्वे हॉस्पिटल में केवल फ्रंटलाईन वर्कर्स को टीके लगेंगे।

निजी अस्पतालों में श्रद्धा हास्पिटल रतलाम, गीतादेवी हास्पिटल रतलाम तथा आरोग्यम हास्पिटल रतलाम में सशुल्क टीके लगेंगे।

सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण पूरी तरह निशुल्क है। शनिवार को सत्रों में जिले में कोविड टीकाकरण सत्रों में 60 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति एवं 45 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह के कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित व्यक्ति सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी जन्म दिनांक दर्शाने वाली आई डी लेकर ऑन स्पॉट बुकिंग कराकर सीधे टीका लगवा सकेंगे।

1 अप्रेल 2021 के बाद से 45 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह के व्यक्तियों को कोमार्बिडिटी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा।

जन्म दिनांक दर्शाने वाली आई डी के आधार पर ऑन स्पाट बुकिंग कराकर सीधे टीके लगाए जाएंगे। सीएमएचओ ने अनुरोध किया है कि सभी लोग मास्क पहनें, अपने हाथों को साबुन पानी से बार-बार धोएं, दो गज की दूरी का पालन

गोशाला टंकी से जल वितरण का क्रम एक दिन आगे बढ़ा

रतलाम। शहर में जल आपूर्ति की धोलावड़ मुख्य 600 एमएम की पाइप लाइन गुरुवार दोपहर फूटने के बाद नगर निगम अमले ने मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जो शुक्रवार सुबह पांच बजे तक चला। इससे गोशाला रोड टंकी नहीं भर पाई। टंकी से होने वाले जलवितरण क्षेत्र में लोग पानी के लिए परेशान होते रहे। अब जलवितरण का क्रम एक दिन आगे बढ़ाया गया है।

आज यहां होगी सप्लाई : धानमंडी, भुट्टा बाजार, लोहार रोड, चौमुखीपुल, नोलाईपुरा, धनजी भाई का नोहरा, शहर सराय, डालूमोदी बाजार, खैरादीवास, नीमचौक, मोमिनपुरा, मराठों का वास, कसाई मंडी, हाट रोड, वेदव्यास कालोनी, खटीक मोहल्ला, गोशाला रोड, राजेंद्र नगर गली नंबर एक से पांच, हयात नगर, सिंधी कालोनी, पटेल कालोनी, भांभी मोहल्ला, सुभाष नगर।

इन क्षेत्रों में कल होगा जल वितरण : सैनिक कालोनी, टीचर कालोनी, बाजना बस स्टैंड, जैन स्कूल के सामने गोपाल गोशाला, धीरजशाह नगर गली नंबर एक, चांदनीचौक, बोहरा बाखल, चौमुखीपुल, हनुमान रूंडी, सुनार बावड़ी, त्रिपोलिया गेट, लक्कड़पीठा, मराठों का वास, घास बाजार, सुनार बावड़ी, ईदगाह, गोशाला रोड, रामभवन, टाटानगर, अमृतसागर, दीनदयाल नगर ए, बी, जी, एम, सिलावटों का वास, गवली मोहल्ला, खान बावड़ी, पोरवाड़ों का वास, सायर चबूतरा, ओझा खाली।

विक्रय के लिए ले जाई जा रही 115 किलो पालीथिन जब्त

रतलाम। नगरीय क्षेत्र में 50 माइक्रान से कम मोटाई की पालीथिन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किए जाने के तहत कलेक्टर गोपालचंद्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। त्रिवेणी रोड स्थित बकराशाला के सामने दीपक जैन द्वारा विक्रय हेतु ले जाई जा रही 50 माइक्रान से कम की 115 किलो पालीथिन को जब्त कर 1000 रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने की कार्रवाई प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिंदे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि द्वारा की गई। नई दुनिया

पाइप लाइन फूटी, गोशाला टंकी से नहीं बंटा पानी, आज से होगी सप्लाई

भास्कर संवाददाता | रतलाम

मोरवानी फिल्टर प्लांट के पास धोलावड़ डेम से आ रही पुरानी पाइप लाइन फूट गई। मरम्मत में 14 घंटे लगे। पंप बंद रहने से गोशाला टंकी नहीं भर पाई। जिससे पानी नहीं बंट पाया। अब इन इलाकों में शनिवार को पानी दिया जाएगा। शनिवार वाले इलाकों में रविवार को पानी देंगे।

इन क्षेत्रों में आज बंटेगा : धानमंडी, भुट्टा बाजार, लोहार रोड, चौमुखी पुल, नौलाई पुरा, शहर सराय, डालू मोदी बाजार, नीमचौक, मोमिनपुरा, हाट रोड, वेदव्यास कॉलोनी, गोशाला रोड, राजेंद्र नगर, सिंधी कॉलोनी, पटेल कॉलोनी, सुभाष नगर आदि।

इन इलाकों में रविवार को सप्लाई : सैनिक कॉलोनी, टीचर कॉलोनी, बाजना बस स्टैंड, बोहरा बाखल, घास बाजार, चौमुखी पुल, कसारा बाजार, टाटा नगर, दीनदयाल नगर, सिलावटों का वास, गवली मोहल्ला, खान बावड़ी, पोरवाड़ों का वास, ओझा खाली आदि।

पाइप बदलने के लिए रातभर काम चला।

भास्कर

धारा 144 लागू: कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

शहर में 20 लोगों की मौजूदगी में हो सकेगा होलिका दहन, ग्रामीण क्षेत्र में 25 की संख्या

करंट इश्यू

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. होलिका दहन को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट गाइड लाइन जारी कर दी है, जिसके तहत रतलाम शहर में होली दहन एवं शब-ए-बारात कार्यक्रम लॉकडाउन होने के कारण सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा। शहर में 20 लोगों की मौजूदगी में शाम 6 से रात 10 बजे के मध्य होलिका दहन किया जा सकेगा। शेष जिले में होलिका दहन पर अधिकतम 25 व्यक्तियों की दहन स्थल पर अनुमति रहेगी। आयोजन समिति द्वारा नाम/ पता की जानकारी लिखित में थाने पर देना अनिवार्य होगा। ये निर्देश शुक्रवार को कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी गोपाल चंद्र डाड ने धारा 144 लागू करते हुए उसके तहत जारी किए हैं।

कोरोना की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। रतलाम जिले की नगर निगम रतलाम शहर सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेंगे।

इन आदेशों का भी करना होगा पालन

- रतलाम नगर सीमा क्षेत्र में 31 मार्च 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षायें, जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों/ कर्मचारियों के आने जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
- जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ठेला गाड़ी लागाकर खाद्यान्न सामग्री जैसे- (चाय, नाश्ता, इत्यादि) में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा लेकिन वह भोजन प्रदाय कर सकेंगे। जिले के सभी सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, जिम बंद रहेंगें।
- दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आने वाले के लिए मास्क का इस्तेमाल संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जाए। दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम एवं चूने के गोले से सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर एवं संस्थानों/ दुकानों के संचालक से रुपए 500 का अर्थदण्ड करके आगामी 48 घंटे के लिए दुकान/ संस्थान का संचालन बंद करवाया जाए।
- नगर निगम/ निकाय एवं पुलिस के वाहनों के माध्यम से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको-टोको संबंधी संदेश प्रसारित किए जाए। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीणजन द्वारा मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाए।
- जिले में आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें अधिकतम 50 व्यक्तियों (आयोजन स्थल की क्षमता अनुसार) की अनुमति रहेगी। मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला, आदि के एंट्री पॉईंट पर परिसर संचालक द्वारा मास्क व सेनेटाइजर उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगें। मैरिज गार्डन तथा होटल परिसर में एक घंटे में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सफाई की जाएगी, गेट पर हाथ धुलाई की व्यवस्था की जाना होगी। संचालक यह भी सुनिश्चित करेगा कि अंदर जाने वाला व्यक्ति और बाहर आने वाला व्यक्ति मास्क पहने हो।
- जिले में आगामी दिवस में आने वाले त्योहारों पर निकलने वाले जुलूस, गैर, मेला आदि के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- अंतिम संस्कार (शवयात्रा) के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना के दौरान (चलित उठावना) अधिकतम 50 व्यक्ति से ज्यादा न हो। कोरोना से अधिक प्रभावी राज्यों जैसे महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की बार्डर पर ही चैकिंग की जाकर थर्मल स्कैनिंग की जाए। रेल्वे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जाए एवं मास्क ना पहनने वालों से 100 रुपए का अर्थदण्ड के लिए रेल्वे के अधिकारियों/ कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है।

- बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जाए तथा सभी बस ऑपरेटर बस में बैठे सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग करायें। मास्क बिना कोई यात्री उनके वाहन में न बैठा हो सुनिश्चित करेंगे। यदि बस में बैठे यात्रियों द्वारा मास्क नहीं लगाया जाता है तो बस कंडेक्टर से जुर्माना (स्पॉट फाइन) की वसूली की जाए।
- आमजन को कोरोना के संकट के प्रति संवेदनशील बनाने के क्रम में आगामी एक सप्ताह प्रतिदिन सुबह 11 बजे तथा सायं 7 बजे शहरी क्षेत्रों के सभी सायरन (चाहे भवनों पर स्थापित हों या पुलिस वाहन पर हों) को 2 मिनट के लिए बजाए जाएँगे। ये आमजन को स्मरण कराने के लिए है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हेण्डवाश/ सैनेटाईजिंग कोविड महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक है।
- जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्) में मास्क का उपयोग ना किऐ जाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जाकर 100 रुपए का स्पॉट फाईन किया जाए तथा सैलाना अनुभाग की सीमा क्षेत्र में मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर 50 रुपए का जुर्माना करके 2 मास्क दिए जाए। चालानी कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं स्थानीय निकायों के अधिकारीयों/ कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है।
- कंटेनमेंट एरिया में से बाहर आने वाले व्यक्ति पर दो हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा।
- शादी समारोह में व्यक्ति मास्क का उपयोग करें साथ ही केटर्स एवं अन्य सर्विंग स्टॉफ आदि के कोरोना टैस्ट किए जाने के बाद ही कार्य पर लिया जाए इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठैकेदार/ गार्डन संचालक द्वारा रखा जाए। बैंक एवं सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

संकलन नगर निगम, रतलाम अखबार– पत्रिका ---पृष्ठ 01 ...दिनांक 27/03/..2021

वार्डो से गायब हुए डस्टबिन, कैसे होगा जीरो वेस्ट

दो दिन में सभी वार्ड को जीरो वेस्ट करने का दावा, मैदानी हकीकत में जुदा तस्वीर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. स्वच्छता की दौड़ में तेजी से भाग रही नगर निगम को उसके कर्मचारी ही पलीता लगा रहे है। एक तरफ शहर में जीरो वेस्ट वार्ड का दावा करते हुए कहा गया है कि शुक्रवार तक 39 वार्ड जीरो वेस्ट कर दिए गए है, दूसरी तरफ इन वार्डो में लगाए गए डस्टबिन को मवेशियों द्वारा तोड़ने के बाद हटा दिया गया व अब मैदानी हकीकत यह है कि फिर से गलियों से लेकर मुख्य सड़क पर कचरा डाला जाने लगा है।

नगर निगम का दावा है कि जीरो वेस्ट वार्ड में स्वच्छता कर्मचारी सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह व दोपहर में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक काम कर रहे है। जबकि दोपहर की सफाई कई वार्डो में हो ही नहीं रही है। श्रीमालीवास हो या नजरबाग या फिर राममंदिर क्षेत्र हो या कस्तूरबा नगर इन क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि सुबह तो सफाई कर्मचारी आते है, लेकिन दोपहर मे कोई नहीं आता है। कचरा संग्रहण गाड़ी के लिए टाटा नगर से लेकर प्रतापनगर व महावीर नगर से लेकर राजबाग तक के रहवासियों का कहना है कि उनके यहां कचरा संग्रहण गाड़ी अधिक नहीं आती है।

नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग आधी रात में कभी प्रतापब्रिज तो कभी प्रतापनगर जाने वाले ब्रिज को पानी से सफाई कर रहा है, लेकिन शहर के वार्डो में जो मवेशी निकलकर डस्टबिन को तोड़ रहे है उन पर नियंत्रण के लिए अभियान अब तक नहीं चल पाया है।

मुझे सूचना दें

सभी वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जा रहे है। सफाई भी करवाई जा रही है। इसके बाद भी अगर कही कोई कमी है तो सीधे मुझे 9644000400 नंबर पर सूचना दी जाए, जिससे अव्यवस्था को तुरंत ठीक किया जा सके। आम शहरी से भी अपील है वे स्वच्छता कार्य में सहयोग करें।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

सभी 49 वार्ड आगामी दो दिनों में होगें जीरो वेस्ट

रतलाम । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 व 49 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ।

23 मार्च की स्थिति में नगर के 26 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है रतलाम नगर को स्वच्छता में देश में नम्बर 1 बनाने के नागरिकों व निगम कर्मचारियों के उत्साह को देखते हुए 26 मार्च से वार्ड क्रमांक 4, 5, 30, 35 व 38 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जायेगा व आगामी दो दिनों में शेष 9 वार्डो को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने पर रतलाम नगर के सभी 49 वार्ड जीरो वेस्ट वार्ड बनेगे व रतलाम नगर जीरो वेस्ट नगर होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान में जिन वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है उन वार्डो की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरो, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

जीरो वेस्ट वार्ड 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 व 49 में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटनी कर एकत्रित किया गया।

नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरो एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

26/26